रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052020-219276
CG-DL-E-04052020-219276

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] **नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2020/वैशाख 14, 1942**
No. 164] **NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2020/VAISAKHA 14, 1942**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/व्यवस्थापक/11-विविध (10)/2020.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (क) की उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और** प्रारंभण: -

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2007 में;

(1) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, नामतः:

"(ड़) "सचिव" का अर्थ है अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त सचिव।

(2) विनियम 3 के उप-विनियम (1) में, "की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार" शब्दों के पश्चात् "कैलेंडर" शब्द सम्मिलित किया जाएगा;

(3) विनियम 6 में;

(i) उप-विनियम (1) में,

(क) “सात कार्य दिवस” शब्दों को “सात दिन” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) पहले परंतुक में, "बुलाए जाने वाले शब्दों" के पश्चात् शब्दों को “या अत्यावश्यक मामलों के मामले में” सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित होगा, नामतः: -

"आगे बशर्ते बोर्ड की बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या सदस्यों के मध्य एक ऐसी कार्यसूची के परिचालन से निर्णय लिया जा सकता है कि किसी संकल्प को करने या उसके परिचालन द्वारा निर्णय लेने का उतना ही प्रभाव होगा जितना की बोर्ड की विधिवत बुलाई गई बैठक में लिए गए निर्णय का होता।

(ii) उप-नियम (2) में अंत में आने वाले शब्दों "और उपस्थित अधिकांश सदस्यों" का लोप हो जाएगा;

(4) नियम 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः: -

"7. अपेक्षित कोरम और मतदान. -

(1) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य सहित बोर्ड के तीन सदस्य बोर्ड की बैठक में व्यवसाय के लेन-देन के लिए कोरम का गठन करेंगे:-

(2) बशर्ते यदि बोर्ड में किसी समय रिक्ति या किसी अन्य कारण से पांच सदस्यों से कम हों तो अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित बोर्ड के दो सदस्य बोर्ड की बैठक में कारोबार लेन-देन के लिए कोरम का गठन करेंगे।

(3) बोर्ड की किसी भी बैठक में आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा किया जाएगा और मतों की किसी समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा”: -

बशर्ते बैठक में जहाँ अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित केवल दो सदस्य उपस्थित हों, जो इस तरह की बैठक के कोरम का विधिवत गठन करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थितियों में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा।”

(5) विनियम 8 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

"8. अनुपस्थिति की छुट्टी. -

यदि बोर्ड को यह उचित लगता है तो वह बैठक में अनुपस्थित सदस्य को छुट्टी देने का निर्णय ले सकता है और इस तरह का निर्णय बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा ”:

(6) विनियम 9 के उप-विनियम (1) में अंत में शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के लिए “बोर्ड कार्यवृत्त के रखरखाव के लिए डिजिटल मोड के लिए प्रावधान कर सकता है" को सम्मिलित किया जाएगा;

(7) विनियम 11 की व्याख्या के स्पष्टीकरण में “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की परिभाषा के अर्थ के दायरे में” शब्दों को "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 77 में परिभाषित” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

(8) विनियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, नामतः: -

“13. व्याख्या

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस

प्रकार के प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक हो तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों के सचिवीय मानक-1 (एसएस-1) से मार्गदर्शन ले सकता है।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./20/2020-21]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम सा.का.नि. 731 (ड़), दिनांक 26/11/2007 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे जिन्हें तत्पश्चात् फा.सं.एल-विविध/VI/I/2007 दिनांक 01/01/2015 के माध्यम से संशोधित किया गया

2. फा.सं. एल-विविध/VI/I/2007, दिनांक 01.01.2015 के माध्यम से किए गए पिछले संशोधन विनियम के पाद टिप्पण में अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2014 के पाद टिप्पण में असावधानीवश यह उल्लेख किया गया था कि "मूल विनियमों को सा.का.नि. (ड़) दिनांक 26/11/2007 के अंतर्गत से अधिसूचित किया गया था और सा.का.नि. 477 (ड़) दिनांक 07/06/2010 और फा.सं. विधिक के माध्यम से संशोधित किया गया था"। इसे "मुख्य विनियमों को सा.का.नि. 731 (ड़) दिनांक 26.11.2007 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था" पढ़ा जाए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

F. No. PNGRB/Admin/11-Misc(10)/2020.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations,2007, namely:-

1. **Short title and commencement.** –

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations,2007, -

(1) in sub-regulation (1) of regulation 2, after clause (d), the following shall be inserted, namely: -

"(e) "Secretary", means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 10 of the Act.";

(2) in sub-regulation (1) of regulation 3, after the words "at least once in each quarter of the", the word "calendar", shall be inserted;

(3) in regulation 6: -

(i) in sub-regulation (1): -

(a) for the words "seven working days", the words "seven days" shall be substituted;

(b) in first proviso, after the words "to be convened", the words "or in case of urgent matters", shall be inserted;

(c) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided further that a resolution may be passed in a Board meeting or a decision may be taken by circulation of an agenda to the Members and the Passing of such resolution or taking of such decision by circulation shall have the same effect as it had been so done at a duly convened meeting of the Board."

(ii) in sub-regulation (2), the words "and a majority of the Members present", occurring at the end shall be omitted;

(4) for regulation 7, the following shall be substituted, namely:-

"**7. Quorum required and voting.**–

(1) Three Members of the Board, including Chairperson or in his absence the Member presiding over the meeting, shall constitute the quorum for transaction of business at a meeting of the Board:

Provided, in case the Board has at any time less than five Members due to vacancy or any other reason, two Members of the Board, including Chairperson or in his absence the Member presiding over the meeting, shall constitute the quorum for transaction of business at a meeting of the Board.

(2) All questions which come before any meeting of the Board shall be decided by a majority vote of the Members present and voting and in the event of any equality of votes,the Chairperson, or in his absence, the Member presiding over the meeting shall have a second or casting vote;

Provided that, in case of a meeting where only two members are present, including Chairperson or in his absence the Member presiding over the meeting, who duly constitute the quorum, then in such circumstances, Chairperson or the Member presiding over such meeting, shall not havethe second or casting vote.";

(5) for regulation 8, the following shall be substituted, namely: -

"**8. Leave of Absence.** – The Board may, if it feels appropriate, decide to grant leave of absence to a Member not present in the meeting and such decision shall be recorded in the minutes of the meeting.";

(6) in sub-regulation (1) of regulation 9, for the words, figures and brackets "The Board may provide for maintenance of the minutes in digital mode.", shall be insertedat the end;

(7) in Explanation to regulation 11, the words "within the meaning of definition of Section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted by the words "as defined in clause 77 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)".

(8) after regulation 12, the following shall be inserted, namely:-

'**13. Interpretation.**–If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board and for such purpose, if required, guidance may be taken by the Board from "Secretarial Standard-1 (SS-1) on Meetings of the Board of Directors" issued by the Institute of Company Secretaries of India.'.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./20/2020-21]

Foot Notes:

1. Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 731(E), dated 26.11.2007, and subsequently amended *vide* F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01.01.2015.

2. In the Foot Note to the previous amending regulation, namely Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Amendment Regulations, 2014 vide F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015, it was inadvertently stated that "Principal regulations were notified vide GSR 731(E) dated 26/11/2007 and amended vide G.S.R. 477(E) dated 07/06/2010 and F.No.Legal/50/2013 dated 21/06/2013". It should be read as, "Principal regulations were notified vide G.S.R. 731(E) dated 26.11.2007".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.04 18:45:56 +05'30'